के लिए पुनःस्थापना पैकेज तैयार करने हेतु भी बैंकों को निदेश दिये गये हैं। बैंक तथा वित्तीय संस्थान रुग्ण इकाईयों को पुनर्जीवित करने के लिए पुनःस्थापना पैकेज बनाते हैं।

(4) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को अलग से दिशा-निर्देश जारी किये हैं जिसमें उन मापदण्डों को बताया गया है जिनके अधीन बड़े तथा लघु दोनों क्षेत्रों में जीव्यक्षम रुग्ण इकाईयों की पुनः स्थापना हेतु बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक से बिना पूछे ही राहत एवं रियायतों की स्वीकृति दे सकेंगे।

(5) रुग्ण एककों का स्वस्थ एककों के साथ समामेलन/विलयन करके भी रुग्ण औद्योगिक इकाईयों की पुनर्स्थापना की जाती है। स्वस्थ एककों को समामेलित रुग्ण एककों की पुनर्स्थापना के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 72(क) के तहत कर लाभ दिये जाते हैं।

(6) सरकार ने राष्ट्रीय नवीकरण कोष की स्थापना की है जो अन्य बातों के साथ-साथ औद्योगिक पुनर्गठन से प्रभावित श्रमिकों की प्रतिपूर्ति की भुगतान करता है।

(7) भारत सरकार की सलाह पर, भारतीय रिजर्व बैंक ने जीव्यक्षम रुग्ण लघु इकाईयों को फिर से खोलने के लिए पुनर्स्थापना पैकेज तैयार करने के लिए सभी राज्यों में संबंधित राज्यों सरकार के उद्योग विभाग के सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अंतर-संस्थागत समितियां (एस०एल०आई०आई०सी०) स्थापित की है।

(8) अगस्त, 1987 में स्थापित राष्ट्रीय इक्विटी निधि से संभावित जीव्यक्षम रुग्ण लघु औद्योगिक एककों को जिनकी परियोजना लागत 10 लाख रुपए से अधिक नहीं है, को 1 % वार्षिक सामान्य सेवा प्रभार पर 1,50,000 रुपए तक दीर्घावधि इक्विटी सहायता के रूप में वित्तीय सहायता भी उपलब्ध है।

(9) अत्यंत छोटे और लघु उद्योगों के लिये एक शीर्ष बैंक के रूप में कार्य करने के लिए एक भारतीय लघु विकास बैंक की स्थापना की गई है।

जीव्यक्षम रुग्ण लघु एककों के पुनरुज्जीवन हेतु भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा पुनर्स्थापना हेतु एक पृथक पुनर्वित्तीयन योजना चलाई जा रही है।

Explosition of Ammunition Factory Khadki

*38. SHRI SURESH KALMADI : SHRI SUSHIL KUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:..

(a) whether it is a fact that a massive explosion rocked the ammunition factory at Khadki near Pune on 10th October, 1994;

(b) if so, what was the loss of life and property as a result thereof;

(c) whether any probe was held into the incident; and

(d) if so, what have been the findings thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN): (a) An explosion took place in one building of the Ammunition Factory, Khadki on 10 October, 1994.

(b) Nine workmen lost their lives and building and material worth Rs. 18 lakhs got destroyed.

(c) and (d) A seven member high level Technical Board of Enquiry headed by Controller Quality Assurance (Ministry Explosives), an independent officer not under the control of Ordnance Factory Board, has been set up to inquire into the mishap. The findings of the Board of Inquiry with comments of Odrnance Factory Board are expected to be received shortly.